न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर, करेडा जिला–भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारीः–रजनी माधीवाल, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः–196/17 रा0वाद

अनवान

श्री हेमसिंह पिता श्री गोविन्दसिंह रावत निवासी धापड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा।

---वादी।

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा।

--प्रतिवादी।

उपस्थित :–

1–अब्दुल रसीद पठान — अधिवक्ता वादी

2–पेरोकार सरकार — अधिवक्ता प्रतिवादी

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88–89–188 रा0टि0ए0

वाद बाबत घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा

निर्णय दिनांक 14.05.2018

प्रकरण में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी द्वारा वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88–89–188 रा0 टि0 ए0 वाद बाबत घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध प्रतिवादी न्यायालय उप खण्ड अधिकारी माण्डल के यहां पेश किया गया जो इस न्यायालय के अस्तित्व में आने के कारण तथा क्षैत्राधिकार में होने से हस्तान्तरण प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जारी सम्मन नोटिस वाद तामील प्राप्त होकर शामिल मिसल किये गये। प्रकरण में प्रतिवादी द्वारा प्राप्त जवाबदावा व मौका रिपोर्ट प्राप्त होने पर रेकार्ड पर लिये जाकर शामिल मिसल किये गये।

पत्रावली राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार–2018 कैम्प थाणा पर प्रस्तुत हुई। प्रकरण में वादी पक्ष द्वारा दौरान बहस निवेदन किया कि वादी भूतपूर्व सैनिक है तथा भारतीय सेना में अपनी सेवाये देते हुये 1978 में सेवानिवत हुये तथा सेवा अवधि में वीरतापूर्वक कार्य करने की वजह से राजस्थान सरकार द्वारा ग्राम धापडा तहसील माण्डल हाल करेड़ा में 20 बीघा जमीन देने का आदेश दिया था जिस पर वादी द्वारा ग्राम धापड़ा में 20बीघा भूमि पर कब्जा किया जो निरन्तर चला आ रहा है लेकिन 20बीघा भूमि आंवटित नहीं की जाकर खसरा नंबर 6 में केवल 15.00 बीघा का आंवटन किया गया लेकिन खसरा नंबर 6 में सेटलमेंट के दौरान साबिक आराजी नंबर 6 के नये नंबर 1070 व 1071 नंबर कायम किये गये, इन्ही नंबरों पर पुरानी जरीब के अनुसार 20 बीघा भूमि पर निरन्तर कब्जा काश्त चला आ रहा है। नई जरीब से 0.02 बीघा कम करते साबिक नंबर से हाल नंबर 1196/1070 रकबा 7.00बीघा व आ0नं0 1197/1071 रकबा 5.15 बीघा तथा शेष भूमि जिसके आ0नं0 1254/1070 रकबा 2.00 बीघा एवं इसी प्रकार आ0नं0 1256/1070 रकबा 2.10 बीघा पर भी वादी का कब्जा होकर काश्त करता चला आ रहा है।

सहायक अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर करेड़ा

इस प्रकार आ0नं0 1254/1070 रकबा 2.00बीघा व 1256/1070 रकबा 2.10 बीघा कुल रकबा 4.10 बीघा पर वादी काबिज काश्त रहने के बावजूद दिनांक 27.06.1989 को मूल आ0नं0 1070 में से 2.00बीघा जरिये मिसल सं. 3370/89 का आंवटन, भूमि आंवटन नियमों व शर्तो के विरूद्ध लक्ष्मणसिंह पिता मोतीसिंह रावत नि0 धापड़ा को आंवटन कर दिया गया तथा इसी कम में अन्य व्यक्ति प्रतापसिंह पिता मोतीसिंह रावत निवासी धापड़ा को 2.10 बीघा भूमि दिनांक 27.06.1989 को जरिये मिसल सं0 3378/89 से नियमों के विरूद्ध आंवटन कर दी। उक्त आंवटन के विरूद्ध दिनांक 27.11.2002 को प्रकरण सं. 49/2001 आंवटन निरस्तीकरण हेतु न्यायालय अपर जिला कलक्टर भीलवाडा द्वारा निरस्त कर दिया गया। इस प्रकार कुल 4.10 बीघा भूमि पिछले 47 सालों से वादी के कब्जे काश्त में चली आ

Scanned by CamScanner

रही है जिसकी प्रमाणिकता पी.14 से होती है। अतः वादी का वादग्रस्त 4.10 बीघा भूमि पर कब्जा काश्त होने से प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर तदनुसार राजस्व रेकार्ड में शंकन की प्रार्थना की गई।

वादी के वाद पत्र के विरूद्ध राज्य पक्ष की ओर से पेरोकार सरकार द्वारा प्रस्तुत तथ्यात्मक प्रतिवेदन दिनांक 14.05.2018 के अनुसार वादी को आंवटन होना राज्य पक्ष द्वारा स्वीकार किया गया परन्तु आंवटित 15 बीघा के अतिरिक्त वादग्रस्त 4.10 बीघा भूमि पर वादी का कब्जा होना भी स्वीकार किया गया। बिन्दु सं0 6 में पेरोकार सरकार द्वारा अंकित किया गया कि माननीय अपर जिला कलक्टर न्यायालय भीलवाड़ा के यहां संस्थित प्रकरण सं0 50/2001 हेमसिंह बनाम लक्ष्मणसिंह वगै0 में पारित निर्णय अन्तर्गत नियम 14(4) राज0 भू0 राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन नियम 1970 में पारित निर्णय दिनांक 27.11.2002 के संदर्भ में टिप्पणी प्रस्तुत की गई कि वादी को न्यायालय अपर जिला कलक्टर भीलवाड़ा के द्वारा उपरोक्त पारित निर्णय के विरूद्ध अपील की जानी चाहिये थी। अतः वादी का वाद पत्र वादपत्र खारिज फरमाया जावे।

मैंने पत्रावली पर उपलब्ध माननीय उपरोक्त न्यायालय का निर्णय दिनांक 27.11.2002 का अध्ययन किया गया। निर्णयानुसार प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत नियम 14(4) स्वीकार किया गया है एवं अन्य व्यक्तियों को आंवटित भूमि वादी के कब्जा काश्त के कारण नियमों के विपरीत आंवटित मानी जाकर निरस्त की है परन्तु राज्य पक्ष की ओर से प्रस्तुत तथ्यात्मक प्रतिवेदन की चरण सं. 5 में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि वादग्रस्त 4.10 बीघा भूमि से अतिचारी वादी को मौके से बेदखल से किया जा चुका है एवं राज्य सरकार के अभिलेखों में भी उपरोक्त वादग्रस्त 4.10 बीघा भूमि बिलानाम सरकार दर्ज रेकार्ड होने के कारण घोषणात्मक वाद अन्तर्गत 88–89 आर.टी.एक्ट के तहत वादी को किसी प्रकार की राहत न्यायालय द्वारा प्रदत्त नही की जा सकती है।

अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र विरूद्ध प्रतिवादी तथ्यों से परे होकर उपरोक्त धारा 88–89 आर.टी.एक्ट के तहत पौषणीय नहीं होने से वादपत्र खारिज किये जाने के आदेश प्रदत्त किये जाते है। पालनार्थ तहसीलदार करेडा को लिखा जावे। तदनुसार डिक्री मुर्तिब हो। पत्रावली दर्ज रजिस्टर से कम की जाकर फैसल शुमार हो।

निर्णय आज दिनांक 14.05.2018 को केम्प थाणा पर सरे आम सुनाया गया।

(रजनी माधीवाल)
आर0ए0एस
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
करेड़ा

Scanned by CamScanner

डिक्री

(आदेश 20 नियम 6/जा0दी0)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर करेडा जिला भीलवाडा(राज0)

बईजलास सुश्री रजनी माधीवाल (आर0ए0एस0)

अनवान प्रकरण

अनवान

श्री हेमसिंह पिता श्री गोविन्दसिंह रावत निवासी धापड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा।

---वादी।

वनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा।

---प्रतिवादी।

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 मुकदमा नं. 196/17 निर्णय दिनांक 14.05.2018

यह मुकदमा अज अदालत वाद इनफिसल कतई हिजरी वकील वादी श्री अब्दुल रशीद पठान मिनजानिब मुददई व पेरोकार सरकार मनलाभिव मुदावला पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी का वादपत्र प्रतिवादीगण के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट खारीज किया जाता है बावत डिक्री प्रदान की जाती है। फरिकेन खर्चा अपना-अपना वहन करें।

आज तारीख 14.05.2018 को डिक्री मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की गई।

(रजनी माधीवाल)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
करेड़ा जिला भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
सहायक कलक्टर जिला भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner